dनिबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1941 (श0)

(सं0 पटना 886) पटना, बुधवार, 31 जुलाई 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

31 जुलाई 2019

अधिसूचना संख्या 12/2019-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 349, दिनांक 31 जुलाई 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017–राज्य–कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या–544 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

(क) अनुसूची I –2.5% में,

(i) क्रम संख्या 234 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :–

"234 ख	8504	विद्युत चालित वाहन के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन"

(ii) क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :–

"242 क	87	विद्युत चालित वाहन, जिसमें दो और तीन पहिया वाले विद्युत मोटर वाहन भी आते है। स्पष्टीकरण :– इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी श्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है। इन विद्युत चालित वाहनों में ई–साइकिल भी शामिल होंगे।"

(ख) अनुसूची II – 6% में, क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची III – 9% में, क्रम संख्या 375 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "इन्डक्टर्स" के पश्चात "विद्युत चालित वाहनों के चार्जर या चार्जिंग स्टेशन से भिन्न" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 12)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

31 जुलाई 2019

एस० ओ०. 349, दिनांक 31 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 12)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 31st July 2019

Notification No. 12/2019- State Tax (Rate)

S.O. 349, Dated 31st July 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I - 2.5%, -

(i) after serial number 234A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"234B	8504	Charger or charging station for Electrically operated vehicles";

(ii) after serial number 242 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"242A	87	Electrically operated vehicles, including two and three wheeled electric vehicles. *Explanation* : For the purposes of this entry, "Electrically operated vehicles" means vehicles which are run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicles and shall include E- bicycles.";

(b) in Schedule II - 6%, serial number 206 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 9%, against serial number 375, in the entry in column (3), after the words "inductors", the words ", other than charger or charging station for Electrically operated vehicles" shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st August, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 12)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 886-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in